BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 53 of 2024

IN THE MATTER OF:
FARHA KHAN ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .....RESPONDENTS

INDEX **N.D.O.H.: 03.02.2027**

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT; UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD	1-4
2.	**ANNEXURE – 1** Copy of the Inspection Report dated 06.10.2026	5-8
3	**ANNEXURE – 2** True copy letter dated 13.10.2026	9-11
4	**Vakalatnama**	12

NEW DELHI
DATED: 03.11.2026



(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

NOTARY PRERNA TYAGI NOTARY MUZAFFARNAGAR Reg. No. 7866 NOTARIAL NOTARIAL GOVT. OF INDIA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 53 OF 2024

IN THE MATTER OF:
FARHA KHAN ... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .....RESPONDENTS

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD.

I, Geetesh Chandra, S/o. Shri Radhe Shyam Chandra, aged about 47 years, Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Muzaffarnagar, U.P. do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

NOTARY

1. That I in the capacity abovenoted am conversant with the facts and record of the present case, hence competent to swear this affidavit.

NOTARY

2. That the above Original Application came up for hearing on 06.08.2026 when this Hon'ble Tribunal pleased to pass the following:

NOTARY

> "..... 4. Hence, we require the UPPCB to take appropriate action for levy of the environmental compensation (EC) for not cleaning the legacy waste

PRERNA TYAGI NOTARY MUZAFFARNAGAR 13 OCT 2026

and for allowing it accumulate at the site in question. The EC be levied by duly following the principles of natural justice upon the persons responsible for accumulation of such waste at the site.

NOTARY

5. At this stage, learned Counsel for the Respondent No. 4 has submitted that such levy will cause injustice to the Respondent No. 4 by allowing the accumulation of the legacy waste and not clearing it inspite of the repeated directions and for not complying with the Solid Waste Management Rules, 2016, the Respondent No. 4 has created environmental issue and cause health hazards to the nearby residents.

NOTARY

6. In such a case of clear non-compliance, Counsel for Respondent No. 4 is not right in submitting that imposition of EC will cause injustice. If appropriate action for clearing the waste is not taken by the Respondent No. 4 necessary punitive action is required to be taken. The UPPCB will furnish its report atleast one week before the next date of hearing.

NOTARY

7. List on 14.10.2026....."

NOTARY PRERNA TYAGI NOTARY MUZAFFARNAGAR Reg. No. 7366 GOVT. OF INDIA

3. That in view of the order passed by this Hon'ble Tribunal the inspection of various sites has been done by the officers/officials of Regional Office, UPPCB, Muzaffarnagar on 03.10.2026 wherein it has been found that at some place municipal solid waste has been lifted but at remaining

PRERNA TYAGI NOTARY MUZAFFARNAGAR

13 OCT 2026

NOTARY

places it was found accumulated. A copy of inspection report dated 06.10.2026 is enclosed as **Annexure-1**.

4. That the disposal of Municipal Solid Waste is not being done in scientific manner and the same is stored at the land situated in Kidwai Nagar where about approx 2,50,000 MT legacy waste is dumped.

5. That further it has been found that waste is scattered uptill the drain and there is no provision of treatment of leachate generated from such waste.

6. That U.P. Pollution Control Board has already imposed the Environmental Compensation of Rs. 68,00,000/- for the period from 01.09.2023 to 05.08.2024 which has yet not been deposited by Nagar Palika Parishad, Muzaffarnagar, hence action is being initiating for issuing the letter to District Magistrate, Muzaffarnagar to recover the same.

7. That further compensation from 06.08.2024 to 05.10.2026 totalling to 791 days @ 20000 per day has been computed amounting to Rs. 1,58,20,000/- for which recommendations have been made by the Regional Office to the headquarter of the U.P. Pollution Control Board. Pursuant to the said recommendations the U.P. Pollution Control Board vide letter dated 13.10.2026 issued showcause notice to Nagar Palika Parishad, Muzaffarnagar to showcase as to why Environmental Compensation of Rs. 1,58,20,000/- be not imposed for non-compliance of Municipal Solid Waste

NOTARY PRERNA TYAGI NOTARY MUZAFFARNAGAR Reg. No. 7866 GOVT. OF INDIA

PRERNA TYAGI NOTARY MUZAFFARNAGAR 13 OCT 2026

Rules. True copy of letter dated 13.10.2026 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2**.

NOTARY

8. That the Board has also taken action for initiating prosecution against the Executive Officer of Nagar Palika Parishad, Muzaffarnagar.

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

NOTARY

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 13th DAY OF OCTOBER, 2026 AT MUZAFFARNAGAR.

NOTARY

DEPONENT

NOTARY
PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR
Reg. No. 7866
GOVT. OF INDIA

Greetesh chandra
Sworn before me at.....
the deponent.....
s/are identified by Shri.....
I have satisfied myself by examining the deponent who understands the contents of the affidavit which has been read out & explained by me to the deponent fee...
charged Rs. .....
NOTARY DISTT. MUZAFFARNAGAR

Identified by

PRERNA TYAGI
NOTARY
MUZAFFARNAGAR
13 OCT 2026

Annexure-1

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 53/2024 फरहा खान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2026 के अनुपालन की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 53/2024 फरहा खान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में दिनांक 06.08.2026 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :–

".....4. Hence, we require the UPPCB to take appropriate action for levy of the environmental compensation (EC) for not clearing the legacy waste and for allowing it accumulate at the site in question. The EC be levied by duly following the principles of natural justice upon the persons responsible for accumulation of such waste at the site.

5. At this stage, learned counsel for the Respondent No. 4 has submitted that such levy will cause injustice to the Respondent No. 4 by allowing the accumulation of the legacy waste and not clearing it inspite of the repeated directions and for not complying with the Solid Waste Management Rules, 2016, the Respondent No. 4 has created environmental issue and cause health hazards to the nearby residents.

6. In such a case of clear non-compliance, counsel for the Respondent No. 4 is not right in submitting that imposition of EC will cause injustice. If appropriate action for clearing the waste is not taken by the Respondent No. 4 necessary punitive action is required to be taken. The UPPCB will furnish its report atleast one week before the next date of hearing.

7. List on 14.10.2026....."

उपरोक्त आदेश के क्रम में आख्या निम्नवत् है :–

1– मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा शिकायत में वर्णित समस्त स्थलों का निरीक्षण/स्थल सर्वेक्षण दिनांक 03.10.2026 एवं 05.10.2026 को किया गया। निरीक्षण/सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा कुछ स्थलों पर म्युनिसपल सॉलिड वेस्ट का निस्तारण करा दिया गया है, यद्यपि शेष स्थलों पर नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् हैं :–

क्र.सं.	स्थल	फोटोग्राफ
1.	भोपा रोड फ्लाईओवर के निकट	

2.	नई मण्डी श्मशान घाट के पास	
3.	ग्राम कूकड़ा जौली रोड	
4.	रामलीला टिल्ला	
5.	रूड़की चौकी	

2– नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर द्वारा वर्तमान में ठोस अपशिष्ट का निस्तारण वैज्ञानिक पद्धति से नहीं किया जाता पाया गया। यद्यपि ठोस अपशिष्ट का भण्डारण किदवईनगर स्थित भूमि पर किया जाता पाया गया। किदवई नगर स्थित डम्पिंग ग्राउण्ड पर लीगेसी वेस्ट का भण्डारण भी पाया गया। वर्तमान में उक्त स्थल पर ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण एवं प्रसंस्करण हेतु 04 नग ट्रॉ–मिल स्थापित/संचालित पायी गयी।

वर्तमान में उक्त स्थल पर लीगेसी वेस्ट की मात्रा लगभग 2,50,000 मी0टन भण्डारित है। निरीक्षण के दौरान सॉलिड वेस्ट सड़क मार्ग पर एवं स्थानीय नाले में फैला पाया गया। सॉलिड वेस्ट का भण्डारण नगरपालिका परिषद द्वारा सुव्यवस्थित रूप से नहीं किया जाता पाया गया। स्थल पर लीचेट की समस्या व्याप्त पायी गयी एवं उपचार की कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है :–







3— क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निरीक्षण के दौरान नगरीय ठोस अपशिष्ट डम्पिंग स्थल से जनित उत्प्रवाह का नमूना को एकत्रित किया गया एवं उत्प्रवाह नमूने के विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्या अपेक्षित है।

4— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2026 द्वारा राज्य बोर्ड को निम्नवत् कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया :—

"…..4. Hence, we require the UPPCB to take appropriate action for levy of the environmental compensation (EC) for not clearing the legacy waste and for allowing it accumulate at the site in question. The EC be levied by duly following the principles of natural justice upon the persons responsible for accumulation of such waste at the site.

उपरोक्त आदेश के क्रम में निम्न संस्तुतियां की जाती हैं :—

क— क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 729/ओए—53/फरहा खान/मु0नगर/2024 दिनांक 20.09.2024 द्वारा तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर डॉ0 प्रज्ञा सिंह (मोबाइल नं0 8368551546) के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रेषित किये जाने के क्रम में एवं वर्तमान में कार्यरत् अधिशासी अधिकारी श्री पवन कुमार (मोबाइल नं0 9580737670) के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

ख— मै0 नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर पर राज्य बोर्ड के पत्रांक एच16562/सी—3/एमएसडब्ल्यू/61/2024 दिनांक 03.09.2024 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 68,00,000/— को भू—राजस्व की भाँति वसूल किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर को पत्र प्रेषित किया जाना उचित होगा।

ग— राज्य बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 03.09.2024 द्वारा दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 05.08.2024 तक कुल 340 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु रूपये 20,000/— प्रतिदिन की दर से रूपये 68,00,000/— पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी। नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर द्वारा वर्तमान तक मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के दृष्टिगत् दिनांक 06.08.2024 से वर्तमान निरीक्षण दिनांक 05.10.2026 तक कुल 791 उल्लंघनकारी दिवसों के सापेक्ष रूपये 20,000/— प्रतिदिन की दर से कुल 1,58,20,000/— पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त आख्या संस्तुति सहित आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(आकाश जोशी)	(राजा गुप्ता)	(कुँवर संतोष कुमार)
प्रयो0सहा0	अवर अभियन्ता	सहा0पर्या0अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

06/10/26

UPPCB-CRCLOMISC/11720/2025-CIR3-UPPCB

763

Annexure-2

I/831454/2026

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्याः H47755/सी–3/NGT/376/2026 दिनांकः 13/10/2026

पंजीकृत

अधिशासी अधिकारी,
मै० नगरपालिका परिषद,
मुजफ्फरनगर। मो0नं0–9837435841

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 06.10.2026 की आख्यानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 53/2024 फरहा खान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.08.2026 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं–

".....4. Hence, we require the UPPCB to take appropriate action for levy of the environmental compensation (EC) for not clearing the legacy waste and for allowing it accumulate at the site in question. The EC be levied by duly following the principles of natural justice upon the persons responsible for accumulation of such waste at the site.

5. At this stage, learned counsel for the Respondent No. 4 has submitted that such levy will cause injustice to the Respondent No. 4 by allowing the accumulation of the legacy waste and not clearing it inspite of the repeated directions and for not complying with the Solid Waste Management Rules, 2016, the Respondent No. 4 has created environmental issue and cause health hazards to the nearby residents.

6. In such a case of clear non-compliance, counsel for the Respondent No. 4 is not right in submitting that imposition of EC will cause injustice. If appropriate action for clearing the waste is not taken by the Respondent No. 4 necessary punitive action is required to be taken. The UPPCB will furnish its report atleast one week before the next date of hearing.

7. List on 14.10.2026....."

उपरोक्त आदेश के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 53/2024 फरहा खान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं–

".....1. In this original application, Applicant has alleged serious violation in respect of compliance of Solid Waste Management Rules, 2016 and Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 by the Nagar Palika Parishad, Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh.

2. As per the grievance, the waste is neither segregated nor processed. The final dumping site is at Kidwai Nagar, Muzaffar Nagar, which is not a sanitary landfill but a mere big dumping yard, which is abutting the residential colonies. It is also alleged that the Municipal Corporation has permitted cropping up of several illegal dumping sites for dumping of municipal waste and there is no proper municipal waste management within the Municipal Corporation concerned....."

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2024 में आवेदक/शिकायतकर्ता द्वारा मुजफ्फरनगर शहर से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट को शहर के विभिन्न स्थानों न्यू मण्डी शमशान घाट, बालाजी चौराहा निकट गुड मण्डी रोड़, ग्राम कूकड़ा जौली रोड़ न्यू बस्ती, भोपा बस स्टेण्ड, सरकारी अस्पताल रुड़की रोड़, खालापार निकट कब्रिस्तान, प्रेम पुरी आवासीय क्षेत्र के सामने मस्जिद, मिनाक्षी चौक के पीछे सिटी सेन्टर मार्किट एवं रामलीला ग्राउण्ड, गन्ना अनुसंधान सेन्टर सर्कुलर रोड़, रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर के निकट, भोपा फ्लाईओवर के सामने लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के पास, कूकड़ा तालाब के पास, दक्षिणी खालापार किदवई नगर मुजफ्फरनगर, राजकीय विद्यालय के पास एवं डीएवी कॉलेज के निकट आदि स्थलों पर नियमानुसार एकत्रण, परिवहन, निस्तारण न होने सम्बन्धी शिकायत मा० अधिकरण के समक्ष की गयी थी।

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा शहर के शिकायती स्थलों का निरीक्षण दिनांक 05.03.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान शिकायत में वर्णित तथ्यों की पुष्टि पाये जाने के दृष्टिगत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम–2016 का

अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के दृष्टिगत् राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच11795/सी–3/एमएसडब्ल्यू/61/2024 दिनांक 31.05.2024 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 यथाशंसोधित की धारा–5 के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा जारी मैथेडोलॉजी के अनुसार दिनांक 01.09.2023 से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक की अवधि हेतु रू0 20,000/–प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।

यह कि नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर को जारी कारण बताओं नोटिस के क्रम में स्थानीय निकाय के प्रत्युत्तर तथा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 14.08.2024 के आधार पर प्रोसेस प्लांट की अवधि 05.08.2024 तक कुल 340 दिवसों हेतु पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन मानते हुए कुल रू0 68,20,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच16562/सी–3/एमएसडब्ल्यू/61/2024 दिनांक 03.09.2024 द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 31.05.2024 को निम्नलिखित शर्तों के निक्षेपित किया गया–

i- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० सं०–53/2024 फरहा खान बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एण्ड अदर्स में पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ii- नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये एक्शन प्लान का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

iii- म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 यथासंशोधित के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

iv- राज्य बोर्ड के पत्र सं०–एच03826/सी–3/एमएसडब्ल्यू/161/मु0नगर/2023 दिनांक 11.12.2023 द्वारा मै० नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित अर्थदण्ड कुल रू0 99,00,000/– को राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं किया है, को अविलम्ब जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

v- मै० नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा मा० एनजीटी एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

vi- मै० नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

vii- मै० नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 68,20,000/– की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 15 दिवस के भीतर जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

vii- उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में दिनांक 31.05.2024 द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस पुनः स्वतः प्रभावी हो जायेगा।

यह कि नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 729/ओए–53/फरहा खान/मु0नगर/2024 दिनांक 20.09.2024 द्वारा तत्समय कार्यरत् अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर डा० प्रज्ञा सिंह के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय लखनऊ प्रेषित की गयी थी।

यह कि नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 20.09.2024 के क्रम में राज्य बोर्ड के पत्रांक एच18755/सी–3/एमएसडब्लू/161/24 दिनांक 17.10.2024 द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय से अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित संस्तुति आख्या में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43 के अन्तर्गत संस्तुति के साथ उत्प्रवाह के मानक निर्धारित मानकों के विपरीत होने सम्बन्धी आख्या प्रेषित न करने के दृष्टिगत् कार्यवाही हेतु नियमानुसार की गई सैम्पलिंग एवं उक्त की विश्लेषण आख्या सहित वांछित सूचनायें/प्रपत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

यह कि मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2026 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शिकायत में वर्णित समस्त स्थलों का निरीक्षण/स्थल सर्वेक्षण दिनांक 03.10.2026 को किया गया। निरीक्षण

आख्यानुसार अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर द्वारा कुछ स्थलों पर म्युनिसपल सॉलिड वेस्ट का निस्तारण करा दिया गया है।

यह कि नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर द्वारा वर्तमान में ठोस अपशिष्ट का निस्तारण वैज्ञानिक पद्धति से नहीं किया जाता पाया गया। यद्यपि ठोस अपशिष्ट का भण्डारण किदवईनगर स्थित भूमि पर किये जाने एवं डम्पिंग ग्राउण्ड पर लीगेसी वेस्ट का भण्डारण पाये जाने तथा वर्तमान में उक्त स्थल पर ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण एवं प्रसंस्करण हेतु 04 नग ट्रॉ–मिल स्थापित/संचालित पाये जाने तथा वर्तमान में उक्त स्थल पर लीगेसी वेस्ट की मात्रा लगभग 2,50,000 मी०टन भण्डारित पाये जाने एवं निरीक्षण के दौरान सॉलिड वेस्ट सड़क मार्ग पर एवं स्थानीय नाले में फैला पाये जाने तथा सॉलिड वेस्ट का भण्डारण नगरपालिका परिषद द्वारा सुव्यवस्थित रूप से नहीं किया जाता पाये जाने तथा स्थल पर लीचेट की समस्या व्याप्त पाये जाने एवं उपचार की कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पाये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्र दिनांक 06.10.2026 तथा 09.10.2026 द्वारा राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 03.09.2024 द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 05.08.2024 तक कुल 340 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु रूपये 20,000/– प्रतिदिन की दर से रूपये 68,00,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी। नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर द्वारा वर्तमान तक मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के दृष्टिगत् दिनांक 06.08.2024 से वर्तमान निरीक्षण दिनांक 05.10.2026 तक कुल 791 उल्लंघनकारी दिवसों के सापेक्ष रूपये 20,000/– प्रतिदिन की दर से कुल 1,58,20,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आगणित कर प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में तथा वर्तमान तक मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के दृष्टिगत, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है–

"यह कि क्यों न मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध दिनांक 06.08.2024 से वर्तमान निरीक्षण दिनांक 05.10.2026 तक कुल 791 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु रु0 20,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रु0 1,58,20,000/– (रु0 एक करोड़ अट्ठावन लाख बीस हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।"

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाये कि क्यों न पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत, मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के आलोक में अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर आपके विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

Digitally signed by ANAND KUMAR ANAND
Date: 13-10-2026 14:17:19

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, **मुजफ्फरनगर** को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई को कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर पावती एवं निर्धारित समयावधि में आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

766

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Appeal /OA NO. OA No. 53 of 2024 of

In re:

FARHA KHAN

Plaintiff /Appellants/ Petitioner/Complainant

VERSUS

STATE OF UP

Defendant/Respondent/ Accused

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We Anuj Kumar Chaubey the above named Law Officer-I do hereby appoint (herein after called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above noted case & authorize :-

Mr.Pradeep Misra, Mr. Daleep Dhyani, Advocates,
138, New Lawyers Chamber, Supreme Court of India,
New Delhi, Ph. :011-23070011, Mob. 9810252518, 9811070721

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each Court by me/ us.

To sign, file verify and present pleadings, appeals cross objections or petitions for execution review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings.

To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner, authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think it to do so and to sign the Power of Attorney on my/our behalf.

AND I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes.

AND I/We undertake that I / we or my /our duly authorized agent would appear in the Court on all hearings and will inform the Advocates for appearance when the case is called.

AND I /we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain himself.

AND I /we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid. I/we will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever. If the case lasts for more than three years, the advocate shall be entitled for additional fee equivalent to half of the agreed fee for every addition three years or part thereof.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my /our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this 13 day of 10.2026 201 .

Accepted subject to the terms of fees.

(PRADEEP MISRA)(DALEEP DHYANI)
Advocate Advocate (D/435/01)

Client
Anuj Kumar Chaubey
Law Officer-I
U.P. Pollution Control Board
Lucknow

ADVOCATES' WELFARE FUND STAMP ₹25 3114525 BAR COUNCIL OF DELHI DELHI TWENTYFIVE RUPEES

NCT OF DELHI COURT FEE ₹1 DLCT090157F2620K 09-JUN-2026

NCT OF DELHI COURT FEE ₹1 DLCT090157F2620K 09-JUN-2026

NCT OF DELHI COURT FEE ₹1 DLCT090157F2620K 09-JUN-2026